प्रेस नोट-दिनांक 21.03.2025

थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

◆थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे 02 डीसीएम वाहन से कुल 34 गोवंश बरामद कर 03 शातिर गोवंश तस्करों को किया गया गिरफ्तार

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व मे गौ तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे 02 डीसीएम वाहन से कुल 34 गोवंश बरामद कर 03 शातिर गोवंश तस्करों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 53/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता निवा. अधि. का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 20.03.2025 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराहियान के चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक डीएसीएम वाहन HR62A6243 वाहन जो चन्दौली की तरफ से आ रही है जिसमें गोवंश लदे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उ.नि. ओमप्रकाश यादव मय हमराहियान मय मखुबिर के नौबतपुर पिकेट से करीब 100 मीटर पश्चिम एनएच 02 हाइवे पर चेकिंग के दौरान एक डीएसीएम वाहन के चालक व चालक सीट के बगल में बैठे व्यक्ति को मौके से पकड़ा लिया गया तथा वाहन उपरोक्त से कुल 13 राशि गोवंश (12 राशि साड़ व 01 राशि बछिया) की बरामदगी किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान ही एक डीएसएम वाहन संख्या UP 72BT3439 वाहन बहुत तेजी से आती दिखाई दिया हम पुलिस वालो को देख वाहन उपरोक्त का चालक वाहन को छोड़कर भागने का प्रयास किया गया कि मौके पर हिकमत अमली का प्रयोग कर उक्त वाहन को भी पकड़ लिया गया। जिसके कब्जे से कुल 21 राशि गोवंश (17 राशि बैंल व 04 राशि गाय) को बरामद किया गया। उपरोक्त वाहन चालकों द्वारा डीसीएम उपरोक्त पर पुलिस से बचने हेतु त्रिपाल से ढककर गोवंशो को ले जा रहे थे। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 53/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता निवा. अधि. का अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजेश कुमार कुशवाहा पुत्र मूल चन्द्र कुशवाहा निवासी श्रीगंगा नगर मकान नं.34 शंकर कालोनी थाना जवाहर नगर जिला श्री नगर राजस्थान

2.बलवीर वर्मा पुत्र स्व. सत्यनरायन वर्मा नि.श्रीगंगा नगर मकान नं.142 लक्ष्मी नगर थाना जवाहर नगर जिला श्री गंगा नगर राजस्थान

3.संदीप शर्मा पुत्र दुलारे ठाकुर निवासी ग्राम असरेम थाना चाँद जिला भभुआ बिहार

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि गोवंशो को सिरसागंज इटावा और शिकोहाबाद के बीच के जंगलो से लादकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए जौनपुर, वाराणसी ,चंदौली के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे, जहां गोवंशों को ऊंचे दामों पर बेचकर जो मुनाफा होता है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं।

बरामदगी का विवरणः-

1.02 डीसीएम वाहन संख्या HR62A6243 व UP72BT3439

2.कुल 34 राशि गोवंश (16 राशि गाय, 01 राशि बछिया 17 राशि साड़)

3.एक मोबाइल एन्ड्रायड ओप्पो कम्पनी

पंजीकृत अभियोग-

1.मु.अ.सं. 53/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता निवा. अधि. थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण–

1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना सैयदराजा चन्दौली।

3.हे0क0 जयप्रकाश सिंह सैयदराजा चन्दौली।

4.का. अजीत मिश्रा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।